(363)

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-1626/9-8-2012-37ज/2012

प्रेषक

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

21084

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 16 जुलाई, 2012

विषयः नागर निकायों द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं विकास हेतु कराये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जाँच किये जाने के सम्ब में ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि नागर निकायों द्वारा आदर्श नगर योजना अन्तर्गत निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास यथा सड़क निर्माण, नाला निर्मा नाली निर्माण, मार्ग प्रकाश, पेयजल, सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु स्वीकृत धनराशि सापेक्ष कराये गये विभिन्न कार्यो को निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के साथ नहीं करा गया है और कहीं-कहीं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यो से भिन्न कार्य कर गये है। इस विषय में निकायों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी जारी किये ग है।

शासन ने इस योजना के अन्तर्गत निकायों द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के विका हेतु कराये गये कार्यो की गुणवत्ता में कमी होने एवं कार्यों का निर्धारित मानकों अनुरूप न होने की शिकायतों को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए आदर्श नगर योजना अन्तर्गत विभिन्न नागर निकायों द्वारा कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की जाँच हे निम्नानुसार जाँच समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया है :

(अ) प्रदेश के जिन जनपदों में नगर निगम है उन जनपदों में नगर आयुक्त क अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसमें जनपद के अधिशार्स अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम तथा जल निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अभियन्ता सदस्य के रूप में नामित होंगे। योजना के अन्तर्गत यदि निकायों द्वारा पेयजल, सीवरेज एवं नाले निर्माण का कार्य कराया गया हो तो जल निगम के अधिशासी अभियन्ता तथा यदि सड़क निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य हो तो सी0 एण्ड 0डी0 एस0 के अधिशासी अभियन्ता सदस्य के रूप में नामित होंगे।

neral